राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर,जयपुर (राजस्थान) 302005

ईमेल –dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687

वेबसाईट :–pension.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– प.5(328)निपेवि/नियम/ई –मॉड्यूल/2023/ **दिनांक :–**

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

विषय :– सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के सेवानिवृत्ति आदेश प्रारूप – 06 के संबंध में।

प्रसंग :– वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 24.03.2015 एवं 18.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.03.2015 द्वारा सेवानिवृत्ति के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के आदेश का प्रारूप – 06 तथा उसमें अंकित की जाने वाली भाषा निर्धारित की गई थी। इसके पश्चात दिनांक 18.07.2017 को जारी परिपत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि सेवानिवृत्ति के आदेश निर्धारित प्रारूप में ही जारी किये जाऐं (अन्य प्रारूप जारी नहीं किये जाए) तथा अपने स्तर पर कोई नया बिन्दु नहीं जोडा जाए।

परन्तु इस निदेशालय में प्राप्त होने वाले अनेक सेवानिवृत्ति आदेशों में उक्त परिपत्र की पालना नहीं की जा रही है तथा उक्त प्रारूप में भाषा में अपने स्तर पर संशोधन किये जा रहे है अथवा अन्य बिन्दु/शर्त अंकित की जा रही है।

सन्दर्भित परिपत्र के अनुसार उक्त प्रारूप से भिन्न प्रारूप में सेवानिवृत्ति आदेश होने पर पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब होने पर नियम 89(3) के अनुसार प्रशासनिक विभाग उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और उस सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध, जो सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में विलम्ब के लिए उत्तरदायी है/उत्तरदायी पाये गये है, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करेगा और पेंशनर के ब्याज का भुगतान करने के कारण सरकार को हुई हानि की वसूली उत्तरदायी ठहराये गये सरकारी अधिकारी/कर्मचारी से करेगा। अतः इस संबंध में अनुरोध है कि सेवानिवृत्ति आदेश उक्त प्रारूप में ही जारी किये जाऐं।

सहज सुविधा हेतु उक्त परिपत्रों की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

Signature valid

Digitally signed by Dev[illegible]aj

([illegible])

Designation: [illegible]

Date: 2024.[illegible]:11:44 IST

Reason: Appro[illegible]

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम) अनुभाग

क्रमांकः प.12 (6) वित्त/नियम/2008 जयपुर, दिनांक 24 MAR 2015

परिपत्र

विषय :– राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 में वर्णित प्ररूप 6 को प्रतिस्थापित किये जाने बाबत्।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 में वर्णित विद्यमान प्ररूप 6 को जो परिशिष्ठ–"अ" पर संलग्न है, से प्रतिस्थापित किया जाता है।

संध्या शर्मा 23/3/2015
(संध्या शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–II

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, महोदय।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (200 प्रतिया)
7. समस्त विभागाध्यक्ष,।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को 100 अतिरिक्त प्रतिया संलग्न करते हुए सभी उप कोषागारो को भिजवाने हेतु।
9 निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
10 उप निदेशक. (साख्यिंकी) मुख्यमंत्री कार्यालय।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त विभाग सचिवालय,
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) को 7 प्रतियां।
14. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) वित्त विभाग (कम्प्यूटर सेल)

प्रतियां इन्हे भी :
1. सचिव, राजस्थान विधान सभा को अधीनस्थ विधाई समितियों को भिजवाने हेतु 20 प्रतियां।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

संध्या शर्मा 23/3/2015
(संध्या शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–II

(पेशन–02/2015)

D:\New Folder\FD(Rules)\Popli jee/Letter

परिशिष्ठ "अ"

प्ररूप–6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृति के आदेश का प्ररूप

राजस्थान सरकार

.... विभाग

सं. .... तारीख :

आदेश

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो (पद नाम) .... के रूप में (सेवा) ....में कार्यरत है, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत किया जाता है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री/श्रीमती/कुमारी .... के विरूद्व आज तक :–

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

हस्ताक्षर
नियुक्ति प्राधिकारी
का पद नाम

सं. .... तारीख.............

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :

1. निदेशक, पेशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित अधिकारी/पदधारी।
3. संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक फाईल।
4.
5.
6.
7.

हस्ताक्षर
पद नाम

राजस्थान सरकार
वित्त (नियम) विभाग

क्रमांकः एफ 12(6) वित्त/नियम/2008 **जयपुर , दिनांकः 18 JUL 2017**

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।

परिपत्र

विषय :– सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिक के सेवानिवृत्ति आदेश प्ररूप–6 की पूर्ति के संबंध में।

राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 78 के नीचे दिये गये सेवानिवृत्ति के आदेश का प्ररूप–6 का वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 **(प्रति संलग्न)** द्वारा संशोधित किया जाकर प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त प्ररूप–6 के अनुसार सेवानिवृत कार्मिक के संबंध में सेवानिवृति के आदेश के प्ररूप में निम्न प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिये जाने होते है :–

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो (पदनाम) .... के रूप में (सेवा) .... में कार्यरत है, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से सेवानिवृति किया जाता है।

2.यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री/श्रीमती/कुमारी .... के विरूद्ध आज तक :–

(1) राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन/पेंशन परिलाभों का समय पर भुगतान कराये जाने के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 78 के नीचे दिये गये सेवानिवृत्ति के आदेश का प्ररूप–6 की पूर्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किये जाने के संबंध में आ रही विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखते हुए निम्न दिशा–निर्देश/मार्गदर्शन जारी किये जाते है :–

(1) उक्त प्ररूप–6 के बिन्दु 2 (1, 2) की पूर्ति के संबंध में कार्मिक की सेंवा–पुस्तिका/सर्विस रिकॉर्ड तथा कार्मिक विभाग से जानकारी प्राप्त की जावें एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 व 19 में लम्बित जांच बकाया होने अथवा नहीं होने का प्रमाण–पत्र

दिये जाने के लिए पेंशन नियम 7(6)(a) जो निम्नानुसार है, का भी ध्यान रखा जावें :–

7(6)(a) departmental proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the charges together with a statement of allegations on which they are based, or the proposal of Government to take disciplinary action together with the allegations on which it is proposed to be taken, are issued to the Government servant or pensioner, or if the Government servant has been placed under suspension from an earlier date, on such date;

साथ ही प्ररूप–6 के बिन्दु 2(3) के संबंध में कोई न्यायिक कार्रवाईयां विचाराधीन/लम्बित है अथवा नहीं, की पूर्ति के संबंध में पेंशन नियम 7(6)(b) जो निम्नानुसार है व वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 05.12.2016 **(प्रति संलग्न)** का ध्यान रखा जावें :–

7(6) (b) judicial proceedings shall be deemed to be instituted -

(i) in the case of criminal proceeding, on the date on which the complaint or report of a police officer, of which the Magistrate takes cognizance, is made, and

(ii) in the case of civil proceedings, on the date the plaint is presented in the court.

(2) सेवानिवृत्ति आदेश को निर्धारित प्रारूप में ही जारी किया जावें, निर्धारित प्रारूप से भिन्न कोई प्रारूप जारी नहीं किया जावें अथवा अपने स्तर पर कोई नया बिन्दु नहीं जोड़े। यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के सेवानिवृत्ति आदेश में निर्धारित बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य बिन्दु जोड़े जाने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन/पेंशन परिलाभों का समय पर भुगतान नहीं होता है तो, नियम 89(3) के अनुसार प्रशासनिक विभाग उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और उस सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध, जो सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में विलम्ब के लिए उत्तरदायी है/उत्तरदायी पाये गये है, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई करेगा और पेंशनर के ब्याज का भुगतान करने के कारण सरकार को हुई हानि की वसूली उत्तरदायी ठहराये गये सरकारी अधिकारी/कर्मचारी से करेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित (बजट)

[पेन्शन– 09/2017]

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम) अनुभाग

क्रमांकः प.12 (6) वित्त/नियम/2008 जयपुर, दिनांक 24 MAR 2015

परिपत्र

विषय :– राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 में वर्णित प्ररूप 6 को प्रतिस्थापित किये जाने बाबत्।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 में वर्णित विद्यमान प्ररूप 6 को जो परिशिष्ठ–"अ" पर संलग्न है, से प्रतिस्थापित किया जाता है।

23/3/2015
(संध्या शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–II

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, महोदय।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (200 प्रतिया)
7. समस्त विभागाध्यक्ष,।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को 100 अतिरिक्त प्रतिया संलग्न करते हुए सभी ...प कोषागारो को भिजवाने हेतु।
9 निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
10 उप निदेशक, (साख्यिंकी) मुख्यमंत्री कार्यालय।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त विभाग सचिवालय,
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) को 7 प्रतियां।
14. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) वित्त विभाग (कम्प्यूटर सेल)

प्रतियां इन्हे भी :
1. सचिव, राजस्थान विधान सभा को अधीनस्थ विधाई समितियों को भिजवाने हेतु 20 प्रतियां।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

23/3/2015
(संध्या शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–II

(पेशन–02/2015)

D:\New Folder\FD(Rules)\Popli jee/Letter

परिशिष्ठ "अ"

प्रपत्र–6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृति के आदेश का प्रारूप

राजस्थान सरकार

.... विभाग

सं. ....   तारीख :

आदेश

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो (पद नाम) .... के रूप में (सेवा) ....में कार्यरत है, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत किया जाता है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री/श्रीमती/कुमारी .... के विरूद्व आज तक :–

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

हस्ताक्षर
नियुक्ति प्राधिकारी
का पद नाम

सं. ....   तारीख.............

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित अधिकारी/पदधारी।
3. संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक फाईल।
4.
5.
6.
7.

हस्ताक्षर
पद नाम

राजस्थान सरकार
वित्त (नियम) विभाग

2016

क्रमांकः एफ 12(6) वित्त/नियम/2008 जयपुर, दिनांकः 5 DEC 2016

परिपत्र

विषय :– राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 78 के नीचे दिये गये सेवानिवृति के आदेश का प्रारूप 6 के संबंध में।

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 द्वारा प्रतिस्थापित प्ररुप–6 के अनुच्छेद 2(3) में अंकित "कोई न्यायिक कार्रवाईयां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।" आशय बाबत राज्य सेवक की सेवानिवृति के समय उक्त प्ररूप–6 की पूर्ति किये जाते समय विभागों/कार्यालयाध्यक्षों को इस अनुच्छेद 2(3) की पूर्ति के संबंध में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों का ध्यान रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि "कोई न्यायिक कार्रवाईयां विचाराधीन है/लम्बित नहीं है" से आशय कार्मिक द्वारा सेवा के दौरान राजकीय कार्य के निष्पादन के दौरान ऐसा कोई कृत्य/कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण कार्मिक के विरूद्ध कोई अभियोजन स्वीकृति जारी की गई हो। इससे भिन्न यदि कोई न्यायिक प्रकरण किसी कार्मिक के विरूद्ध विचाराधीन/लम्बित है तो उसकी सूचना पेंशन प्रकरण के निस्तारण हेतु अपेक्षित नहीं होगी।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मन्त्री/राज्य मन्त्री/संसदीय सचिव।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (200 प्रतियों सहित)।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. उपनिदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमन्त्री कार्यालय जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. कार्य एवं प्रशासन सुधार (कॉडिफिकेशन) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
14. अतिरिक्त निदेशक (कम्प्यूटर सेल), वित्त विभाग।
15. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।